INVESTMENT INCENTIVE AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA

AND

THE GOVERNMENT OF INDIA

THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA and THE GOVERNMENT OF INDIA;

AFFIRMING their common desire to encourage economic activities in India that promote the development of the economic resources and productive capacities of India; and

RECOGNIZING that this objective can be promoted through investment support provided by the Overseas Private Investment Corporation ("OPIC"), a development institution and an agency of the United States of America, in the form of investment insurance and reinsurance, debt and equity investments and investment guaranties;

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1

As used in this Agreement, the following terms have the meanings herein provided.

(a) "Investment Support" refers to any debt or equity investment, any investment guaranty and any investment insurance or reinsurance which is provided by the Issuer in connection with a project in the territory of India.

(b) "Issuer" refers to OPIC and any successor agency of the United States of America, and any agent of either.

(c) "Investment Insurance" means insurance against any or all of the following risks:

(i) inability to convert into United States dollars other currencies, or credits in such currencies, received as earnings or profits from projects, as repayment or return of the investment therein, in whole or in part, or as compensation for the sale or disposition of all or any part thereof;

(ii) loss of investment, in whole or in part, in a project due to expropriation or confiscation by action of the Government of India;

(iii) loss due to war, revolution, insurrection or civil strife; and

(iv) loss due to business interruption caused by any of the risks set forth in subparagraphs (i), (ii) and (iii) above.

ARTICLE 2

If under the laws of India the making of a loan, equity investment, or other form of investment requires an approval of the Reserve Bank of India, the Foreign Investment Promotion Board, the Ministry of Finance, or the Ministry of Industry, or such other agency of the Government of India as may be specified by the Government of India by notice to the Issuer, the provisions set forth in this Agreement with respect to Investment Support for or constituting such loan, equity investment or other form of investment shall apply only if such approval has been issued.

ARTICLE 3

(a) The activities of the Issuer shall not be subject to regulation under the laws of India with respect to Investment Insurance or reinsurance extended outside of India to U.S. investors, including entities domiciled in third countries having not less than 95 percent U.S. ownership, or with respect to reinsurance extended to non-U.S. entities not domiciled in India.

(b) If the Issuer makes a payment to any person or entity, as Issuer of Investment Insurance or an investment guaranty in connection with any Investment Support, the Government of India shall recognize in connection with any dispute contemplated under the provisions of Article 6(c) hereof the transfer to the Issuer in connection with such payment of the right to exercise the rights and assert the claims of such person or entity.

(c) With respect to any interests transferred to the Issuer or any interests to which the Issuer succeeds under this Article, the Issuer shall assert no greater rights than those of the person or entity from whom such interests were received, without prejudice to any other rights that the two parties may have in their sovereign capacities.

ARTICLE 4

(a) Amounts in the currency of India, including cash, accounts, credits, instruments or otherwise, acquired by the Issuer upon making a payment, or upon the exercise of its rights as a creditor, in connection with any Investment Support provided by the Issuer for a project in India ("Local Currency"), shall be freely convertible into dollars and transferable to the United States at the prevailing market rate of exchange on the date of conversion.

(b) Local Currency may be transferred or loaned by the Issuer to, or invested by the Issuer in, any person or entity in accordance with relevant laws and regulations in force in the territory of India.

(c) Local Currency shall be freely available to the Government of the United States of America for administrative expenditures.

ARTICLE 5

Provisions equivalent to those of this Agreement shall apply with respect to investment support by the Export Credit Guaranty Corporation Ltd. or any other agency designated by the Government of India for investments in the United States under a program similar in substance to the investment incentive program to which this Agreement relates, upon completion of any constitutional or other legal processes of either Government

that may be required and an exchange of notes to be made at the initiative of either Government.

ARTICLE 6

(a) Any dispute between the Government of the United States of America and the Government of India regarding the interpretation of this Agreement shall be resolved, insofar as possible, through negotiations between the two Governments. If, six months following a request for negotiations hereunder, the two Governments have not resolved the dispute, the dispute, including the question of whether such dispute presents a question of international law, shall be submitted, at the initiative of either Government, to an arbitral tribunal for resolution in accordance with paragraph (b) of this Article.

(b) The arbitral tribunal referred to in paragraph (a) of this Article shall be established and shall function as follows:

(i) Each Government shall appoint one arbitrator. These two arbitrators shall by agreement designate a president of the tribunal who shall be a citizen of a third state and whose appointment shall be subject to acceptance by the two Governments. The arbitrators shall be appointed within three months, and the president within six months, of the date of receipt of either Government's request for arbitration. If the appointments are not made within the foregoing time limits, either Government may, in the absence of any other agreement, request the Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration in the Hague to make the necessary appointment or appointments. Both Governments hereby agree to accept such appointment or appointments.

(ii) Decisions of the arbitral tribunal shall be made by majority vote and shall be based on the applicable principles and rules of international law. Its decision shall be final and binding on the parties. The arbitral tribunal shall state the basis for its decision and give reasons therefor upon the request of either Government.

(iii) During the proceedings, each Government shall bear the expense of its arbitrator and of its representation in the proceedings before the tribunal, whereas the expenses of the president and other costs of the arbitration shall be paid in equal parts by the two Governments. In its

award, the arbitral tribunal may reallocate expenses and costs between the two Governments.

(iv) In all other matters, the arbitral tribunal shall determine its own procedures.

(c) The above procedure for negotiation and arbitration will also apply in respect of claims of the Issuer in connection with acts attributable to the Government of India which involve questions of liability under public international law.

ARTICLE 7

(a) This Agreement shall enter into force on the date on which the Government of India notifies the Government of the United States of America that all legal requirements for entry into force of this Agreement have been fulfilled. Upon so entering into force, this Agreement shall replace and supersede the agreement between the United States of America and India on the Guaranty of Private Investments effected by exchange of notes signed at Washington on September 19, 1957 as supplemented by exchanges of notes signed at Washington on December 7, 1959 and at New Delhi on February 2, 1966 (the "Prior Agreement"), and any matter relating to Investment Support or otherwise pending under such agreement shall be treated or disposed of under the terms of this Agreement, except any matters relating to Investment Support as to which, prior to the entry into force of this Agreement, disputes have been raised between the two Governments under the terms of the Prior Agreement, which disputes shall be treated or disposed of under the Prior Agreement.

(b) This Agreement shall continue in force until six months from the date of receipt of a note by which one Government informs the other of an intent to terminate this Agreement. In such event, the provisions of this Agreement shall, with respect to Investment Support provided while this Agreement was in force, remain in force so long as such Investment Support remains outstanding, but in no case longer than twenty years after the termination of this Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at New Delhi, on the 19th day of November, 1997, in two originals, each in the English and Hindi languages, both texts being equally authentic. In the case of any divergence between the texts, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA:

Madeleine Albright

FOR THE GOVERNMENT OF INDIA:

[signature]

संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार

और

भारत सरकार

के बीच

निवेश प्रोत्साहन करार

संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार और भारत सरकार ;

भारत में आर्थिक गतिविधियों, जो भारत के आर्थिक संसाधनों और उत्पादक क्षमताओं के विकास का संवर्धन करेंगी, को बढ़ावा देने की अपनी सामान्य इच्छा की अभिपुष्टि करते हुए; और

यह स्वीकारते हुए कि इस उद्देश्य को ओवरसीज़ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन (ओपिक), जो एक विकास संस्था है और संयुक्त राज्य अमरीका का अभिकरण है, द्वारा निवेश बीमा और पुनर्बीमा, ऋण और इक्विटी निवेशों और निवेश गारंटियों के रूप में प्रदत्त निवेश सहायता के ज़रिए बढ़ाया जा सकता है ;

निम्न रूप में सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद I

इस करार में यथाप्रयुक्त, निम्नलिखित पद यहां नीचे दिए गए अर्थ रखते हैं ।

§क§ "निवेश सहायता" का अर्थ है कोई ऋण अथवा इक्विटी निवेश, कोई निवेश गारंटी और कोई निवेश बीमा अथवा पुनर्बीमा, जो भारत के भू-भाग में किसी परियोजना के संबंध में निर्गमकर्ता द्वारा किया गया हो ।

§ख§ "निर्गमकर्ता" का अर्थ है ओपिक और संयुक्त राज्य अमरीका का कोई उत्तरवर्ती अभिकरण और दोनों में से किसी का कोई अभिकर्ता ।

§ग§ "निवेश बीमा" का अर्थ है निम्नलिखित में से किसी एक अथवा सभी जोखिमों के प्रति बीमा :

§I§ अन्य मुद्राओं, अथवा ऐसी मुद्राओं में क्रेडिट को अमरीकी डालर में परिवर्तित करने की असमर्थता, जो परियोजनाओं से आय अथवा लाभ के रूप में, उसमें किए गए निवेश के पूर्णत: अथवा अंशत: प्रतिसंदाय या आय के रूप में, अथवा उसकी पूर्णत: या अंशत: बिक्री अथवा व्ययन के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त हुआ हो;

§II§ भारत सरकार के कार्य द्वारा स्वामित्वहरण अथवा जब्ती के कारण किसी परियोजना में पूर्णत: अथवा अंशत: निवेश की हानि ;

§III§ युद्ध, क्रांति, विद्रोह अथवा सिविल उपद्रव के कारण हानि ; और

(iv) उपर्युक्त उप-पैराग्राफ (i),(ii) और (iii) में बताए गए किसी जोखिम द्वारा हुए व्यवसाय व्यवधान के कारण हानि ।

अनुच्छेद 2

यदि भारत के कानूनों के अधीन ऋण, इक्विटी निवेश, अथवा निवेश का कोई अन्य रूप निष्पादित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, वित्त मंत्रालय अथवा उद्योग मंत्रालय अथवा भारत सरकार के किसी ऐसे अन्य अभिकरण, जैसा भी निर्गमकर्ता को नोटिस देकर भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो, का अनुमोदन अपेक्षित हो, तो निवेश सहायता के लिए अथवा ऐसे ऋण, इक्विटी निवेश या निवेश के किसी अन्य रूप के निर्माण के संबंध में निर्धारित इस करार के उपबंध तभी लागू होंगे यदि ऐसा अनुमोदन जारी कर दिया गया हो ।

अनुच्छेद 3

(क) भारत से बाहर, संयुक्त राज्य अमरीका के निवेशकों जिनमें संयुक्त राज्य अमरीका के कम से कम 95 प्रतिशत स्वामित्व वाले ऐसे निकाय शामिल हैं जिनका अधिवास तीसरे देशों में है, अथवा संयुक्त राज्य अमरीका से इतर उन निकायों, जिनका अधिवास भारत में नहीं है, को दी गई निवेश बीमा अथवा पुनर्बीमा सहायता के संबंध में निर्गमकर्ता की गतिविधियां भारत के कानूनों के तहत विनियम के अधीन नहीं होंगी ।

(ख) यदि निर्गमकर्ता निवेश बीमा अथवा किसी निवेश सहायता से जुड़ी निवेश गारंटी के निर्गमकर्ता के रूप में किसी व्यक्ति अथवा निकाय को, कोई भुगतान करता है, तो भारत सरकार अनुच्छेद 6(ग)

के उपबंधों के अधीन विचाराधीन किसी विवाद के संबंध में ऐसे भुगतान से जुड़े अधिकारों का प्रयोग करने और ऐसे व्यक्ति या निकाय के दावों का प्राख्यान करने का अधिकार निर्गमकर्ता को अंतरित किए जाने को मान्यता देगी ।

§ग§ निर्गमकर्ता को अंतरित किए गए किसी हित अथवा किसी ऐसे हित जिसे निर्गमकर्ता ने इस अनुच्छेद के अधीन उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त किया हो, के संबंध में निर्गमकर्ता, किन्हीं अन्य अधिकारों, जो दोनों पक्षों के पास अपनी प्रभुसत्ता-सम्पन्न क्षमताओं में है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उस व्यक्ति अथवा निकाय, जिससे ऐसे हित प्राप्त किए गए हों, से अधिक अधिकारों का प्राख्यान नहीं करेगा ।

अनुच्छेद 4

§क§ भारत की मुद्रा में राशियां, जिसमें नकदी, लेखे, क्रेडिट, लिखतें अथवा अन्य रूप शामिल हैं, जिन्हें निर्गमकर्ता ने कोई भुगतान करने पर अथवा भारत में किसी परियोजना के लिए निर्गमकर्ता द्वारा दी गई किसी निवेश सहायता के संबंध में, लेनदार के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग करने पर प्राप्त किया हो§"स्थानीय करेंसी"§ डालरों में मुक्त रूप से अंतरणीय और परिवर्तन की तारीख को विनिमय की प्रचलित बाजार दर पर संयुक्त राज्य अमरीका को अंतरणीय होगी ।

§ख§ स्थानीय करेंसी, भारत के भू-भाग में प्रवृत्त संगत कानूनों और विनियमों के अनुसार किसी व्यक्ति अथवा निकाय को निर्गमकर्ता द्वारा अंतरित की जा सकती है, ऋण के रूप में दी जा सकती है अथवा निवेशित की जा सकती है ।

(ग) स्थानीय करेंसी प्रशासनिक व्ययों के लिए संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार को मुक्त रूप से उपलब्ध होगी ।

अनुच्छेद 5

इस करार के उपबंधों के समकक्ष उपबंध, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अथवा सा भूत में निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम, जिससे यह करार संबंधित है, के समान किसी कार्यक्रम के तहत संयुक्त राज्य अमरीका में निवेशों के लिए भारत सरकार द्वारा पदनामित किसी अन्य अभिकरण के संबंध में, दोनों में से किसी भी सरकार से यथाअपेक्षित किसी सांविधिक अथवा अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के पूरा होने पर, और दोनों में से किसी भी सरकार की पहल पर टिप्पणियों का आदान-प्रदान किए जाने पर लागू होंगे ।

अनुच्छेद 6

(क) संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार तथा भारत सरकार के मध्य इस करार की व्याख्या से संबंधित किसी विवाद का समाधान, यथासंभव, दोनों सरकारों के मध्य वार्ताओं द्वारा किया जाएगा । यदि, इसके अधीन वार्ताओं के लिए अनुरोध किए जाने के छह माह तक दोनों सरकारों द्वारा विवाद का समाधान न किया गया हो तो विवाद को, यह प्रश्न शामिल करते हुए कि क्या ऐसे विवाद में अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रश्न शामिल है, किसी भी सरकार की पहल पर, समाधान हेतु इस अनुच्छेद के पैरा (ख) के अनुसार किसी माध्यस्थम न्यायाधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(ख) इस अनुच्छेद के पैरा (क) में उल्लिखित माध्यस्थम न्यायाधिकरण का निम्नप्रकार गठन किया जाएगा तथा वह निम्नानुसार कार्य करेगा :

(I) प्रत्येक सरकार एक मध्यस्थ की नियुक्ति करेगी । ये दोनों मध्यस्थ सहमति से न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को पदाभिहित करेंगे जो एक तीसरे राज्य का नागरिक होगा तथा जिसकी नियुक्ति/दोनों सरकारों की स्वीकृति के अध्यधीन होगी । मध्यस्थों की नियुक्ति किसी भी सरकार की मध्यस्थता हेतु प्रार्थना की प्राप्ति की तिथि से तीन माह के भीतर तथा अध्यक्ष की छह माह के भीतर की जाएगी । यदि नियुक्तियां पूर्वोक्त समय सीमाओं के भीतर नहीं की जाती हैं, तो कोई भी सरकार, किसी अन्य करार की अनुपस्थिति में हेग स्थित स्थायी माध्यस्थम न्यायालय के महासचिव से आवश्यक नियुक्ति या नियुक्तियां करने का अनुरोध कर सकती है । दोनों सरकारें एतद्द्वारा ऐसी नियुक्ति या नियुक्तियों को स्वीकृत करने के लिए सहमत हैं ।

(II) माध्यस्थम न्यायाधिकरण के निर्णय बहुमत द्वारा किए जाएंगे तथा प्रयोज्य सिद्धान्तों तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों पर आधारित होंगे । इसका निर्णय अंतिम तथा दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा । माध्यस्थम अधिकरण अपने निर्णय का आधार बताएगा तथा दोनों में से/किसी भी सरकार के अनुरोध पर उसके कारण बताएगा ।

§III§ कार्यवाहियों के दौरान, प्रत्येक सरकार अपने मध्यस्थ तथा न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों में अपने प्रतिनिधित्व का खर्च वहन करेगी, जबकि अध्यक्ष का खर्च तथा माध्यस्थम की अन्य लागतों को दोनों सरकारों द्वारा बराबर वहन किया जाएगा । अपने पंचाट में, माध्यस्थम न्यायाधिकरण दोनों सरकारों के मध्य खर्चों तथा लागतों को पुनः निर्धारित कर सकता है ।

§IV§ अन्य सभी मामलों में, माध्यस्थम अधिकरण अपनी प्रक्रियाएं स्वयं निर्धारित करेगा ।

§ग§ वार्ता तथा मध्यस्थता के लिए उपर्युक्त प्रक्रिया भारत सरकार के कारण हुई घटनाओं के कारण निर्गमकर्ता के दावों के संबंध में भी लागू होगी जिनमें लोक अंतर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत दायित्व का प्रश्न शामिल है ।

अनुच्छेद 7

§क§ यह करार उस तिथि से प्रवृत्त होगा जब भारत सरकार संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार को अधिसूचित कर दे कि इस करार के प्रवृत्त होने के लिए सभी कानूनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर लिया गया है । इस प्रकार प्रवृत्त होने पर, यह करार 19 सितम्बर, 1957 को वाशिंगटन में हस्ताक्षर किए गए टिप्पणियों के आदान-प्रदान द्वारा प्रभावित गारंटी आफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के संबंध में संयुक्त राज्य अमरीका तथा भारत के बीच हुए करार को प्रतिस्थापित तथा अधिक्रमित कर लेगा जिसे 7 दिसम्बर, 1959 को वाशिंगटन में तथा 2 फरवरी, 1966 को दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए

टिप्पणियों के आदान-प्रदान(पूर्व करार) द्वारा संपूरित किया गया है, और ऐसे करार के अन्तर्गत निवेश सहायता से संबंधित अथवा अन्यथा लंबित कोई मामला इस करार की शर्तों के अन्तर्गत व्यवहृत किया जाएगा/अथवा निपटाया जाएगा, सिवाय निवेश सहायता से संबंधित उनमामलों के जिनके संबंध में इस करार के प्रवृत्त होने से पूर्व, दोनों सरकारों के बीच पूर्ववर्ती करार की शर्तों के अन्तर्गत विवादों को उठाया गया है, जो विवाद पूर्ववर्ती करार के तहत व्यवहृत किए जाएंगे अथवा निपटाए जाएंगे ।

(ख) यह करार उस टिप्पणी जिसके द्वारा एक सरकार दूसरी सरकार को इस करार की समाप्ति के आशय के बारे में सूचित करती है, की प्राप्ति की तिथि से छह माह तक प्रवृत्त होना जारी रहेगा । ऐसी स्थिति में, इस करार के उपबंध, प्रदत्त निवेश सहायता के संबंध में, जब यह करार प्रवृत्त था, तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक निवेश सहायता बकाया रहे, लेकिन किसी भी स्थिति में इस करार की समाप्ति के बाद बीस वर्षों से अधिक अवधि के लिए प्रवृत्त नहीं रहेंगे ।

जिसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरकर्ताओं ने अपनी-अपनी सरकारों की ओर से विधिवत् प्राधिकृत होकर इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं ।

नई दिल्ली में 19 नवम्बर, 1997 को सम्पन्न इस करार की हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियां तैयार की गई हैं, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । व्याख्या में भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।

Madeleine Albright	पी चिदम्बरम
संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार की ओर से	भारत सरकार की ओर से